

भाग -२ (क)

(सम्बंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या

योजना / स्कीम का स्थान	उत्तर प्रदेश
(१) राज्य / संघ शासित क्षेत्र	उत्तर प्रदेश
(२) जिला	औरैया
(३) वन प्रभाग	औरैया वन प्रभाग औरैया
(४) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हे० में)	0.3456
(५) वन की कानूनी स्थिति	संरक्षित
(६) हरियाली का घनत्व	
(७) प्रजाति वार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणी वार वृक्षों की परिगणना (संलग्न किये जाए) सिंचाई / जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एक आर० एल० एफ़० आर० एल० -2 मीटर पर परिगणना और एफ़० आर० एल० -4 मीटर भी संलग्न किये जाए।	
(८) भू - क्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिपणी।	
(९) वनेत्तर प्रयोग के लिए वन क्षेत्र प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी।	
(१०) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव, अभयारण्य, जैव मंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कॉरिडोर आदि का भाग है (यदि हाँ तो क्षेत्र का ब्यौरा प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाएँ)	नहीं
(११) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजगत की दुर्लभ / संकटापन्न/ विशिष्ट प्रजातियां पायी जाती हैं, यदि हाँ / नहीं तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें	नहीं
(१२) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्त्व / पारम्परिक स्थल / रक्षा प्रतिष्ठान और अन्य कोई महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र स्थित है। यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो तो दें	नहीं
(१३) प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग -1 कॉलम -2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जांचे गए विकल्पों के ब्योरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है	न्यूनतम है
(१४) क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ / नहीं) यही हाँ तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें, क्या उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी तक चल रहे हैं।	नहीं
प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का विवरण	संलग्न है
(१) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभিনিर्धारण वनोत्तर क्षेत्र / अविकसित वन क्षेत्र आसपास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी भूखंड का आकार	
(२) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभিনিर्धारण वनोत्तर क्षेत्र / अविकसित वन क्षेत्र और आसपास के वन सीमाओं को दर्शाता है	
रोपित किये जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढांचा आदि	
प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय	

प्रभागीय वनाधिकारी
औरैया वन प्रभाग-औरैया

प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारण क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधित दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र सम्बंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए	
11 - जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषता उपयुक्त कॉलम (7) (10) (11) (8) और (9) में पूंछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए संलग्न करें	
विभाग / जिला प्रोफाइल	
(1) जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल	20/6 वर्ग किमी
(2) जिले का वन क्षेत्र	100/0.1/49 हे
(3) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनोत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	
(4) 1980 से जिला / प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	
(क) दंड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित भूमि	
(ख) वनोत्तर भूमि	
अब तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति	
(क) वन भूमि पर	
(ख) वनोत्तर भूमि पर	
प्रस्ताव को स्वीकार करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	

दिनांक 18-11-2022

स्थान 

हस्ताक्षर 
 नाम  औरैया वन प्रभाग-औरैया
 सरकारी मोहर.....